न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
70 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	20.07.2021	08.10.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री नवीन कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री नवल किशोर माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री जी ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं0 2 पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0

2–श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री रामदयाल नॉमिनी मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी मुनि आश्रम के पास मेडता सिटी जिला नागौर राज.

3– मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी मुनि आश्रम के पास मेडता सिटी जिला नागौर राज.

4–श्रीमति मंजू मेहता पत्नि श्री ताडकेश्वर मेहता प्रोपरायटर मैसर्स ओसवाल गृह उद्योग बासनी तिलवाडिया रोड, गंगा पेट्रोल पम्प के पीछे सोजत सिटी जिला पाली निवासी –166 मूंठो का बास, सोजत सिट्ी जिला पाली

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 08.10.2021

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.01.2021 को समय 5.39 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री जी ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री नवीन कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री नवल किशोर माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री जी ट्रेडर्स नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं0 2 पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया [illegible] पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना [illegible] या एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **अचार केर लक्ष्मी ब्राण्ड** **(Pickles Ker Laxmi Brand)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री नवीन कुमार माहेश्वरी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता नवीन कुमार माहेश्वरी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैंक मे 200–200 ग्राम के 26 पॉली पैक **अचार केर लक्ष्मी ब्राण्ड** (Pickles Ker Laxmi Brand) रखे हुये मे से 200–200 ग्राम के 12 नग मूल पैक का चयन कर इलेक्ट्रोनिक तोलने की मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री नवीन कुमार माहेश्वरी को रू0 408/–अक्षरे चार सौ आठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **अचार केर लक्ष्मी ब्राण्ड** (Pickles Ker Laxmi Brand) 200–200 ग्राम बारह नग कुल मात्रा 2400 ग्राम को 200–200 ग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 600) को ज्यो का त्यो खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2776 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2776 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. नवीन कुमार माहेश्वरी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री नवीन कुमार माहेश्वरी ने मौके पर **अचार केर लक्ष्मी ब्राण्ड** (Pickles Ker Laxmi Brand) बतोर वारंटी बिल मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी मुनि आश्रम के पास मेडता सिटी जिला नागौर राज.का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 2812 दिनांक 27.10.2020 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी मुनि आश्रम के पास मेडता सिटी जिला नागौर राज. से पत्राचार करने पर उनके द्वारा मैसर्स [illegible] उद्योग बासनी तिलवाडिया रोड, गंगा पेट्रोल पम्प के पीछे सोजत सिटी जिला पाली का बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 जीएसटी 493 दिनांक 16.10.2020 की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/336 दिनांक 11.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/134/एक्ट/2021/227 दिनांक 22.01.2021 अनुसार नवीन कुमार माहेश्वरी से बास्ते नमूना जांच विकय किया गया **अचार केर लक्ष्मी ब्राण्ड** (Pickles Ker Laxmi Brand) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **अचार केर लक्ष्मी ब्राण्ड** (Pickles Ker Laxmi Brand) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की और से उनके प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **अचार केर लक्ष्मी ब्राण्ड** (Pickles Ker Laxmi Brand) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **अचार केर लक्ष्मी ब्राण्ड** (Pickles Ker Laxmi Brand) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री नवीन कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री नवल किशोर माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री जी ट्रेडर्स नेहरू [illegible] देवली जिला टोंक राज0 निवासी प्लाट नं0 2 पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 पर [illegible] 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद पुत्र श्री रामदयाल नॉमिनी [illegible] श्री [illegible] मोहन ट्रेडिंग कम्पनी मुनि आश्रम के पास मेडता सिटी जिला [illegible] 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:40 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अप्रार्थीया श्रीमति मंजू मेहता पत्नि श्री ताडकेश्वर मेहता प्रोपरायटर मैसर्स ओसवाल गृह उद्योग बासनी तिलवाडिया रोड, गंगा पेट्रोल पम्प के पीछे सोजत सिटी जिला पाली निवासी –166 मूंतो का बास, सोजत सिटी जिला पाली पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:40 IST
Reason: SelfAttested